UPHR010013652026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–591/2026

भोला पुत्र कोमल निवासी ग्राम धुमरी थाना जैथरा जिला एटा––––––––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार––––––––––––––––––––––––––––––––––––––विपक्षी।

दिनांक: 11.03.2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त भोला की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–381/2025 अन्तर्गत धारा–303(2), 317(2) बी०एन०एस० थाना कछौना जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा दीन मोहम्मद की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 25.10.2025 को समय लगभग 1.45 बजे रात में वादी मुकदमा की भैंस घर के बाहर बंधी थी। उसी बीच तीन अज्ञात चोर उसकी भैंस खूंटे से छोर ले गए। उक्त अज्ञात चोरों को गांव के व्यक्ति ने देखा है। भैंस ले जाते समय अज्ञात चोर, चोरी की घटना को अंजाम दिया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित नहीं कि गांव के किस व्यक्ति ने भैंस चोरी करते हुए देखा। बरामदगी का कोई जनता का साक्षी नहीं है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो बरामदगी दिखायी गयी, वह फर्जी है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है न ही विचाराधीन ही है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनपत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

5– जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.11 15:03:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6– केस डायरी के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की भैंस चोरी करना बताया गया है। विवेचना के अनुक्रम में पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तो उनकी अभिरक्षा से इस प्रकरण से संबंधित भैंस बिक्री के बचे हुए मु० 5000/– रूपए बरामद किया जाना दर्शित किया गया है। किन्तु फर्द बरामदगी का कोई जनता का गवाह दर्शित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 13.02.2026 से जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है।

7– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त भोला की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानती सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 11.03.2026

सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।